



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-30092026-276635
CG-KA-E-30092026-276635

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4967]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948

No. 4967]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 16 सितम्बर, 2026

का.आ. 5173(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का अधिनियम संख्या 24) की धारा 2 की धारा 7A तथा धारा 20F की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय (दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) एतद्वारा निम्नलिखित तालिका के कॉलक (4) में उल्लिखित अधिकारियों को "सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority)" तथा कॉलक (5) में उल्लिखित अधिकारियों को "मध्यस्थ (Arbitrator)" के रूप में अधिकृत करता है, ताकि वे उक्त अधिनियम के अंतर्गत विशेष रेलवे परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी एवं मध्यस्थ के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी। यह विशेष रेलवे परियोजना तालिका के कॉलक (2) में तथा संबंधित जिला कॉलक (3) में उल्लिखित है और इसका उद्देश्य उक्त विशेष रेलवे परियोजना का निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं संचालन करना है।

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	जिला	सक्षम प्राधिकारी	मध्यस्थ
1	व्हाइटफील्ड-बंगारपेट स्टेशनों के बीच चौथी रेल लाइन का निर्माण (47 कि.मी.)	बेंगलुरु शहरी	विशेष भूमि अर्जन अधिकारी (SLAO), वी.वी. टॉवर, बेंगलुरु	क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु

2	व्हाइटफील्ड-बंगारपेट स्टेशनों के बीच चौथी रेल लाइन का निर्माण (47 कि.मी.)	बेंगलुरु ग्रामीण	विशेष भूमि अर्जन अधिकारी (SLAO), दोड.बल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण	क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु
3	व्हाइटफील्ड-बंगारपेट स्टेशनों के बीच चौथी रेल लाइन का निर्माण (47 कि.मी.)	कोलार	सहायक आयुक्त / भूमि अर्जन अधिकारी, कोलार	क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु

[फा. सं. डब्ल्यू.271/सीएन/बीएनसी/2026-27/भूमि एसआरपी/1727]

आशुतोष माथुर, मुख्य इंजीनियर-IV/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 16th September, 2026

S.O. 5173(E).— In the exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F and clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) the Ministry of Railway (South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) hereby authorizes the officers mentioned in column (4) of the table below as 'Competent Authority' and the officers mentioned in column (5) of the table below as 'Arbitrator' to perform the functions as such authority under the said act with effect from date of publication of this notification in the official gazette in respect of Special Railway Projects mentioned in column (2) relating to district mentioned in column (3) of the table below for public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

Sl. No.	NAME OF PROJECT	DISTRICT	COMPETENT AUTHORITY	ARBITRATOR
1	Quadrupling of Track between Whitefield – Bangarpet Station (47 Km)	Bengaluru Urban	SLAO, V.V. Tower, Bengaluru	Regional Commissioner, Bengaluru
2	Quadrupling of Track between Whitefield – Bangarpet Station (47 Km)	Bengaluru Rural	SLAO, Doddaballapura, Bengaluru Rural	Regional Commissioner, Bengaluru
3	Quadrupling of Track between Whitefield – Bangarpet Station (47 Km)	Kolar	Assistant Commissioner / LAO, Kolar	Regional Commissioner, Bengaluru

[F. No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

ASHUTOSH MATHUR, Chief Engineer-IV/Construction